



दिनांक 28.08.2024

प्रेस विज्ञप्ति 37 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद ललितपुर / थाना कोतवाली ललितपुर

- 35 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
 - 04 चार पहिया वाहन
 - 10 हजार रुपये नगद
- 01 चांदी की चैन, घड़ी, आधार कार्ड आदि बरामद

दिनांक 27.08.2024 को थाना कोतवाली ललितपुर व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मसौरा बैरियर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रविशंकर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे / निशादेही से 04 चार पहिया वाहन, 10 हजार रुपये नगद, 01 चांदी की चैन, घड़ी, आधार कार्ड आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली ललितपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु रेंज स्तर से 35 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-रविशंकर निवासी लेखपाल कालोनी रामनगर थाना कोतवाली जनपद ललितपुर
हालपता गीतग्रीन कालोनी करोंद थाना निशादपुरा जनपद भोपाल म0प्र0

बरामदगी

1-04 चार पहिया वाहन ।

2-10 हजार रुपये नगद ।

3-01 चांदी की चैन, घड़ी, आधार कार्ड आदि ।

जनपद जौनपुर/थाना जलालपुर

● 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 28.08.2024 को थाना जलालपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोपीपुर पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सचिन उर्फ रामबाबू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना जलालपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जलालपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सचिन उर्फ रामबाबू निवासी भटौली थाना इनायतनगर जनपद अयोध्या।

जनपद मुरादाबाद/थाना पाकबड़ा

● घटना का अनावरण

● 05 अभियुक्त गिरफ्तार

● लूट के 03 लाख 05 हजार रूपये नगद

● 01 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जॉब कार्ड आदि

● 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस

● घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 28.08.2024 को थाना पाकबड़ा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 05 अभियुक्तों 1—प्रदीप 2—श्याम 3—कृष्णा 4—अनुज उर्फ पंकज 5—मुकेश को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 03 लाख 05 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जॉब कार्ड आदि, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.08.2024 को थाना पाकबड़ा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पाकबड़ा पर धारा 309(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना पाकबड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-प्रदीप निवासी ग्राम अहमदाबाद थाना हाफिजगंज जनपद बरेली।
- 2-श्याम निवासी ग्राम सूरजपुर थाना पटवई जनपद रामपुर।
- 3-कृष्णा निवासी मोमिनपुर अहमदाबाद थाना शहजादनगर जनपद रामपुर।
- 4-अनुज उर्फ पंकज निवासी ग्राम बकेनिया कालेखां थाना बहेडी जनपद बरेली।
- 5-मुकेश निवासी ग्राम दोली जवाहरलाल थाना शाही जनपद बरेली।

बरामदगी

- 1-लूट के 03 लाख 05 हजार रूपये नगद।
- 2-01 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जॉब कार्ड आदि।
- 3-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।
- 4-घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेंट गाजियाबाद/थाना टीलामोड़

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 05 लाख 50 हजार रूपये नगद

दिनांक 27.08.2024 को थाना टीलामोड़ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कोयल एनक्लेव बस स्टैण्ड के पास से अभियुक्त तारीफ उर्फ शाहरूख को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 05 लाख 50 हजार रूपये नगद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.08.2024 को थाना टीलामोड़ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना टीलामोड़ पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना टीलामोड़ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-तारीफ उर्फ शाहरूख निवासी ग्राम चिरोड़ी थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1-चोरी के 05 लाख 50 हजार रूपये नगद।

जनपद फतेहपुर/ थाना बिन्दकी

● पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

● नगद रूपये

● चोरी करने का उपकरण

● 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/ खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 28.08.2024 को थाना बिन्दकी व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खजुहा नहर पुलिया शमशान घाट के पास चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबंदी की गयी, तो बदमाश ने जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त गोपाल उर्फ इंदल घायल हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/ निशादेही से नगद रूपये, चोरी करने का उपकरण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/ खोखा कारतूस बरामद किये गये। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त गोपाल के विरुद्ध जनपद फतेहपुर में चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बिन्दकी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1- गोपाल उर्फ इंदल निवासी मीरखपुर कस्बा व थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1- नगद रूपये।

2- चोरी करने का उपकरण।

3- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/ खोखा कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/ थाना बुढ़ाना

• पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

• 01 मोटर साइकिल

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/ खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 28.08.2024 को थाना बुढ़ाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बुढ़ाना- कांधला मार्ग पर मंडी से आगे विज्ञाना के पास बदमाशों की घेराबंदी की गयी, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1- इकबाल घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2- दिलशाद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/ निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/ खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त इकबाल के विरुद्ध जनपद मेरठ, हाथरस व मुजफ्फरनगरके विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैस्टर एक्ट आदि के लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1- इकबाल निवासी सम्भलहेडा थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर।

2- दिलशाद निवासी रसूलपुर दभेडी थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1-01 मोटर साइकिल।

2-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बाराबंकी/ थाना लोनीकटरा

- पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- 01 आटो वाहन

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक 28.08.2024 को थाना लोनीकटरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम अखईयापुर अण्डरपास के पास चेकिंग के दौरान आटो सवार बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1-राहुल घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2- ललित किशोर 3- अरुणेश सहित गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/ निशादेही से 06 पेटी अवैध शराब, 01 आटो वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त राहुल के विरुद्ध जनपद अमेठी, रायबरेली व बाराबंकी के विभिन्न थानों पर चोरी के 21 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना लोनीकटरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1- राहुल निवासी ग्राम गंगापुर संसारा थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी।

2- ललित किशोर निवासी फतेहपुर थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी।

3- अरुणेश निवासी घरकुईया थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी ।

बरामदगी

1-06 पेटी अवैध शराब ।

2-01 आटो वाहन ।

3-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस ।

जनपद फतेहगढ़ / थाना नवाबगंज

● 03 अभियुक्त गिरफ्तार

● चोरी की 09 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 27.08.2024 को थाना नवाबगंज व क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1- विशाल 2- अंकित उर्फ यश 3- जीतू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/ निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त विशाल, अंकित उर्फ यश के विरुद्ध जनपद फतेहगढ़, कानपुर देहात के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1- विशाल निवासी ग्राम पहाडपुर थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ ।

2- अंकित उर्फ यश निवासी चौराहा वियासतपुर थाना रनिया जनपद फतेहगढ़ ।

3- जीतू निवासी मल्लामऊ थाना बेवर जनपद मैनपुरी ।

बरामदगी

1- चोरी की 09 मोटर साइकिल ।

कमिश्नरेट लखनऊ / थाना मड़ियांव

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 05 ई-रिक्शा, 01 मोटर साइकिल
- चोरी के 06 बैट्री आदि बरामद

दिनांक 28.08.2024 को थाना मड़ियांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मड़ियांव पुल के पास से 02 अभियुक्तों 1-सतीश 2-सुभाष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 ई-रिक्शा, 01 मोटर साइकिल, चोरी के 06 बैट्री आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मड़ियांव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-सतीश निवासी पलिया थाना कमलापुर जनपद सीतापुर, हालपता मड़ियांव गांव थाना जानकीपुरम कमिश्नरेट लखनऊ।
- 2-सुभाष निवासी अकबरपुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर, हालपता निषी हास्पिटल के पास थाना जानकीपुरम कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

- 1-चोरी की 05 ई-रिक्शा, 01 मोटर साइकिल।
- 2-चोरी के 06 बैट्री आदि।

जनपद बाराबंकी / थाना सफदरगंज

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 35 लाख रुपये कीमत के प्रतिबन्धित चीड़ की लकड़ी
- कूट रचित बिल
- घटना में प्रयुक्त ट्रक आदि बरामद

दिनांक 28.08.2024 को थाना सफदरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पलहरी बाजार बकरा मण्डी के पास के 02 अभियुक्तों 1- यासीन 2- मो0 साजिद को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/ निशादेही से लगभग 35 लाख रुपये कीमत के प्रतिबन्धित चीड़ की लकड़ी, कूट रचित बिल, घटना में प्रयुक्त ट्रक आदि बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना सफदरगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- यासीन निवासी भानमण्डी थाना जहानाबाद जनपद पीलीभीत ।
- 2- मो0 साजिद निवासी भानमण्डी थाना जहानाबाद जनपद पीलीभीत ।

बरामदगी

- 1- लगभग 35 लाख रुपये कीमत के प्रतिबन्धित चीड़ की लकड़ी ।
- 2-कूट रचित बिल ।
- 3- घटना में प्रयुक्त ट्रक आदि ।

जनपद गोरखपुर/ थाना सहजनवां

● 08 अभियुक्त गिरफ्तार

● धोखाधड़ी के 28 लाख 77 हजार 800 रुपये नगद

● धोखाधड़ी से प्राप्त रुपयों से क्रय की गयी 01 स्कार्पियो वाहन बरामद

दिनांक 28.08.2024 को थाना सहजनवां व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भिन्न-भिन्न स्थानों से 08 अभियुक्तों 1-अमरजीत 2-अभिषेक 3-अनन्त 4-राणा प्रताप उर्फ झूलर 5-अजय 6-शिव प्रताप 7-नागेन्द्र कुमार 8-शैलेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/ निशादेही से धोखाधड़ी के 28 लाख 77 हजार 800 रुपये नगद, धोखाधड़ी से प्राप्त रुपयों से क्रय की गयी 01 स्कार्पियो वाहन बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना सहजवां पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- अमरजीत निवासी रावतपार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर ।
- 2- अभिषेक निवासी गाडर थाना गीडा जनपद गोरखपुर ।
- 3- अनन्त निवासी लोनवा थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर ।
- 4- राणा प्रताप उर्फ झूलर निवासी बेलदारीपुर थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर ।
- 5- अजय निवासी पिडिया थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर ।
- 6- शिव प्रताप निवासी चारपान थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर ।
- 7- नागेन्द्र कुमार निवासी भेउसा थाना हरपुर बदहट जनपद गोरखपुर ।
- 8- शैलेन्द्र कुमार कास्तदेउर थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर ।

बरामदगी

- 1- धोखाधड़ी के 28 लाख 77 हजार 800 रुपये नगद ।
- 2- धोखाधड़ी से प्राप्त रुपयों से क्रय की गयी 01 स्कार्पियो वाहन ।

जनपद चित्रकुट / थाना सरधुवा

● 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 7 लाख 40 हजार रुपये कीमत के 24 किलो 690 ग्राम अवैध गांजा

● घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नंबर) बरामद

दिनांक 28.08.2024 को थाना सरधुवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चिल्लीमल मोड़ के पास से 02 अभियुक्तों 1- ननकू 2- रामजस को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/ निशादेही से लगभग 7 लाख 40 हजार रुपये कीमत के 24 किलो 690 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नंबर) बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना सरधुवा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- ननकू निवासी ग्राम सिकरी अमान थाना राजापुर जनपद चित्रकुट ।
- 2- रामजस निवासी ग्राम सिकरी अमान थाना राजापुर जनपद चित्रकुट ।

बरामदगी

- 1- लगभग 7 लाख 40 हजार रुपये कीमत के 24 किलो 690 ग्राम अवैध गांजा ।
- 2- घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नंबर) ।

➤ जनपद बाराबंकी (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ 75 लाख रुपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद बाराबंकी पुलिस ने अभियुक्त 1-त्रिभुवन नारायण पाण्डेय पुत्र स्व0 रामधारी पाण्डेय निवासी अरहरिया थाना अहिरौली 2-आलोक कुमार चौबे पुत्र हलधर निवासी ग्राम दुबावल टहर वाजिदपुर थाना कप्तानपुर जनपद आजमगढ़, हालपता विजयंत खण्ड थाना गोमतीनगर कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ 75 लाख रुपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

➤ जनपद मऊ (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 70 लाख 07 हजार रुपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद मऊ पुलिस ने अभियुक्त सुधीर सिंह पुत्र रमेश सिंह उर्फ काका निवासी कैथौली थाना सरायलखंसी जनपद मऊ द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 70 लाख 07 हजार रुपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

➤ जनपद हापुड़/थाना पिलखुवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 01-01 लाख रुपये अर्थदण्ड)

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना पिलखुवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत

अभियुक्त 1—रहीश 2—गुलजार 3—इस्तखार 4—रिफाकत को आजीवन कारावास व 01—01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद हरदोई/थाना सांडी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना सांडी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विनोद को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद अलीगढ़/थाना छर्ना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना छर्ना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/149/302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मुशीर को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद बुलन्दशहर/थाना गुलावठी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 20—20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व अर्थदण्ड)

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना गुलावठी पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त सोनू को धारा 363/366/452/376डी/506/352 भादवि व 5एच/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 33 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त प्रवीण उर्फ जहरी को धारा 376डी/506/352 भादवि व 5एच/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 21 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद मऊ/थाना मोहम्मदाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 80 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना मोहम्मदाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दिलीप को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 80 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
